न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 152/2015

1. चौथमल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल
2. कालीबाई पुत्री नाथूलाल पत्नि गोपाल जाति माली निवासी सीसवाली हाल निवास शारदा सीनियर स्कूल के पास इटावा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. हेमराज पुत्र धन्नालाल
2. नन्दकिशोर पुत्र धन्नालाल
3. ललिता पुत्र धन्नालाल पत्नि भैरूलाल जाति माली निवासी सीसवाली हाल निवास डडवाडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. संतोष पुत्री धन्नालाल पत्नि पप्पूलाल जाति माली निवासी सीसवाली हाल निवास रामगढ माताजी तलाब के पास रामगढ तहसील मांगरोल जिला बारां
5. मनभर पुत्री धन्नलाल पत्नि धनराज जाति माली निवासी गुलाबपुरा सीसवाली तहसील मांगरोल
6. कमलेश पुत्री धन्नलाल पत्नि महावीर जाति माली निवासी सीसवाली हाल निवास कोडपा तहसील दीगोद जिला कोटा
7. पारवती पत्नि स्व0 श्री धन्नालाल जाति माली निवासी गुलाबपुरा सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां
8. उपपंजीयक महोदय उपतहसील सीसवाली जिला बारां
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 व 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री वीरेन्द्र सिंह

वकील प्रतिवादीगण : श्री हरीश राजावत

निर्णय दिनांक : 29.01.2019

दायरा दिनांकः 05.08.2015

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की आराजी ग्राम सीसवाली की हाल जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 1120 खसरा

[illegible] है0, खसरा नं0 4881 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 4882 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 [illegible] है0, खसरा नं0 4884 रकबा 1.11 है0, खसरा नं0 4885 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4886 [illegible] है0, खसरा नं0 4890 रकबा 0.82 है0, खसरा नं0 4891 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 4908 [illegible] है0, खसरा नं0 5521 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 5522 रकबा 0.02 है0 कुल किता 12 रकबा [illegible] है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 7 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

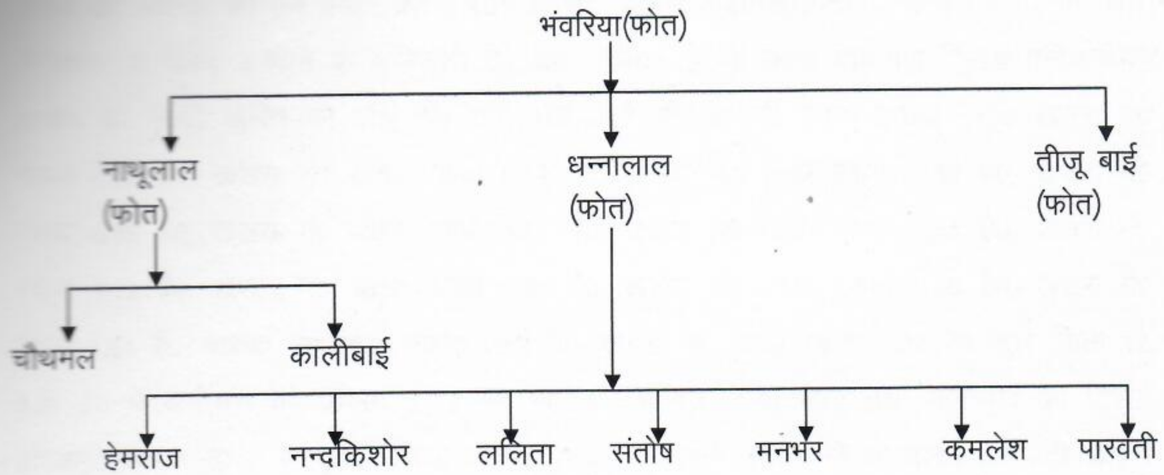

वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 7 के पिता/पति सगे भाई थे तथा जिनकी एक बहिन तीजूबाई थी जिनको उक्त आराजी अपने पिता भंवरिया से विरासत में प्राप्त हुयी थी जिनका हिस्सा उपरोक्त आराजी में प्रत्येंक का 1/3 निहित था जिनका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2061–64 में अंकित है। उक्त तीनो खातेदारो की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के पिता नाथूलाल की मृत्यु पश्चात वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्सा 1/3 दर्ज हुआ है। तथा प्रतिवादी कम 1 ता 7 के पिता/पति धन्नालाल की मृत्युं पश्चात प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा 1/3 में नामान्तरण दर्ज होना चाहिए था तथा तीजूबाई की मृत्यु होने पर उसका नाम खाते से डिलिट होकर उसके हिस्से की आराजी वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 7 के खाते दर्ज होनी चाहिए थी। किन्तु राजस्व रेकार्ड में तीजूबाई के हिस्सा 1/3 की आराजी प्रतिवादी कम 1 ता 7 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जर्ये नामान्तरण संख्या 1260 दिनांक 28.05.2010 अपने नाम दर्ज करवाली इस प्रकार प्रतिवादी कम 1 ता 7 गलत रूप से हिस्सा 2/3 के खातेदार बन गये जबकि 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण तथा 1/2 हिस्से के प्रतिवादी कम 1 ता 7 खातेदार होने चाहिए थें इस प्रकार वादीगण हिस्सा 1/2 के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 7 के पिता/पति अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण आराजी में 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त थे तथा उनकी मृत्यु बाद वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 7 सम्पूर्ण विवादित आराजी में 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। जिसके आधार पर वादीगण अपने को हिस्सा आराजी 1/2 के खातेदार घोषित करवाने के कानूनी अधिकारी है। मृतक तीजूबाई

वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की बुआ व प्रतिवादी क्रम 7 की ननद थी तथा उसकी मृत्यु बाद वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को बराबर बराबर हक प्राप्त होने से वादीगण मृतक तीजूबाई की हिस्सा आराजी में से 1/2 वां हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। क्योकि तीजूबाई ने अपने जीवनकाल में अपना हिस्सा अपने दोनो भाईयों को बराबर–बराबर दे दिया था। उक्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के नाम हिस्सा 2/3 दर्ज होने से वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है तथा धमकियां दे रहे है हमारे हिस्से की आराजी को हम बेचान करके रहेंगे जिसके कारण वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें कि ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 1120 खसरा नं0 4480 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 4881 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 4882 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 4883 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 4884 रकबा 1.11 है0, खसरा नं0 4885 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4886 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 4890 रकबा 0.82 है0, खसरा नं0 4891 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 4908 रकबा 1.54 है0, खसरा नं0 5521 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 5522 रकबा 0.02 है0 कुल किता 12 रकबा 6.24 है0 में वादीगण को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जावें तथा वादीगण का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 से पृथक किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जावें। प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें कि वादीगण की हिस्स आराजी 1/2 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें वादीगण को हिस्सा 1/2 पर शांति पूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.08.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश राजावत ने वकालत नामा दिनांक 15.10.2015 को प्रस्तुत किया एवं आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को वास्ते जवाब कई अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 08.10.2018 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को एक्स पार्टी घोषित किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में दिनांक 28.01.2019 वादी क्रम 1 चौथमल पुत्र नाथूलाल के बयान करवायें। अपने बयान में वादी क्रम 1 ने अपने वाद पत्र का समर्थन किया है। एवं वादी क्रम 1 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 1120 खसरा नं0 4480 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 4881 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 4882 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 4883 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 4884 रकबा 1.11 है0, खसरा नं0 4885 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4886 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 4890 रकबा 0.82 है0, खसरा नं0 4891 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 4908 रकबा 1.54 है0, खसरा नं0 5521 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 5522 रकबा 0.02 है0 कुल किता 12 रकबा 6.24 है0 में वादीक्रम 1 व 2 का हिस्सा 1/2 व

प्रतिवादी कम 1 ता 7 का हिस्सा 1/2 निहित है। एवं निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 ता 7 के पिता/पति आराजी पर 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते है केवल राजस्व रेकार्ड में ही वादीगण का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी कम 1 ता 7 का हिस्सा 2/3 अंकन हो रहा है जो गलत है जिसे दुरूस्त कर वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 7 का हिस्सा 1/2–1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। वकील वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी ग्राम सीसवाली सम्वत 2044–2063 प्रदर्श 5, नकल जमाबंदी ग्राम सीसवाली सम्वत 2065–68 प्रदर्श 3 व नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 प्रदर्श 4 करवायें। प्रतिवादीगण कम 1 ता 7 की ओर से किसी प्रकार के साक्ष्य व दस्तावेज प्रदर्श नही करवाये गये।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.01.2019 को वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया है जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न ग्राम सीसवाली के नामान्तरकरण संख्या 1260 दिनांक 28.05.2010 में अंकित पारिवारिक सजरे का अवलोकन किया गया तदनुसार धन्नालाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/3 एवं तीजू पुत्री भंवरलाल हिस्सा 1/3 तदनुसार दोनो बहिन भाईयों के फौत होने पर उनका संयुक्त हिस्सा 2/3 बिना किसी आधार के प्रतिवादी कम 1 ता 7 के पिता/पति धन्नालाल के वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कर दिया। जबकि वाद पत्र में अंकित पारिवारिक सजरे के अनुसार वादीगण कम संख्या 1 व 2 के पिता नाथूलाल एवं प्रतिवादी कम 1 ता 7 के पिता/पति धन्नालाल के नाम हिस्सा 1/2–1/2 का इन्द्राज होना चाहिए था। इस प्रकार इस नामान्तरकरण के जरियें पितृ पुरूष भंवरलाल की पुत्री तीजू के लाऔलाद फोत होने पर उसका 1/3 हिस्सा कमशः उसके दोनो भाईयों में धन्नालाल एवं नाथूलाल को बराबर–बराबर मिलना चाहिए था और उनके स्वर्गीय होने के बाद उनके वारिसान वादीगण कम 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण कम 1 ता 7 को हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज होना चाहिए था। अतः सुनी गयी फाईनल बहस, प्रस्तुत दस्तावेज व बयान गवाह स्वयं वादी कम 1 के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकण संख्या 1260 दिनांक 28.05.2010 शून्य घोषित किया जाता है व ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 1120 खसरा नं0 4480 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 4881 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 4882 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 4883 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 4884 रकबा 1.11 है0, खसरा नं0 4885 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 4886 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 4890 रकबा 0.82 है0, खसरा नं0 4891 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 4908 रकबा 1.54 है0, खसरा नं0 5521 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 5522 रकबा 0.02 है0 कुल किता 12 रकबा 6.24 है0 में वादी कम 1 व 2 को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 ता 7 को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है साथ ही

प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण क्रम 1 व 2 की हिस्सा आराजी 1/2 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें एवं वादीगण को अपने हिस्से 1/2 आराजी पर शांती पूर्वक काश्त करने देवें। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनार

वादीगण निम्न आधारों पर वाद पेश कर निवेदन करते है :